Sadqaat Ke Baare Me 25 Suwal Jawab (Hindi)

हफ़्तावार रिसाला : 338
Weekly Booklet : 338

शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी** के मल्फ़ूज़ात का तहरीरी गुलदस्ता बनाम

सदक़ात

के बारे में 25 सुवाल जवाब

सफ़ह़ात 22

- सदक़ा देने से उम्र कैसे बढ़ेगी ? 02
- हलाल और हराम की मिक्स कमाई सदक़ा करना कैसा ? 06
- परिन्दों को सदके़ का गोश्त खिलाना कैसा ? 12
- अक़ीक़ा करने के बजाए सदक़ा करना कैसा ? 19

पेशकश :
मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या
(दावते इस्लामी)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

अमीरे अहले सुन्नत से सदक़ात के बारे में 25 सुवाल जवाब

दुआए ख़लीफ़ए अमीरे अहले सुन्नत : या रब्बल मुस्तफ़ा ! जो कोई 20 सफ़हात का रिसाला : **''अमीरे अहले सुन्नत से सदक़ात के बारे में 25 सुवाल जवाब''** पढ़ या सुन ले उस के ह़लाल रिज़्क़ में बरकत अ़ता फ़रमा और उसे राहे ख़ुदा में सदक़ा व ख़ैरात करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमा।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النّبِیّٖن صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

फ़रमाने आख़िरी नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **:** क़ियामत के रोज़ **अल्लाह** पाक के अ़र्श के सिवा कोई साया नहीं होगा, तीन शख़्स अ़र्शे इलाही के साए में होंगे। अ़र्ज़ की गई **: या रसूलल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **!** वोह कौन लोग होंगे ? इर्शाद फ़रमाया : ﴾1﴿ वोह शख़्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे ﴾2﴿ मेरी सुन्नत ज़िन्दा करने वाला ﴾3﴿ मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ़ पढ़ने वाला।

(البدور السافرۃ، ص131، حدیث:366)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ على مُحَمَّد

सुवाल : सदक़ा और ख़ैरात की क़बूलिय्यत का मे'यार क्या है ?

जवाब : इख़्लास के साथ जो अ़मल किया जाए **अल्लाह** की रह़मत से उस में क़बूलिय्यत की उम्मीद बहुत ज़ियादा है और अगर इख़्लास नहीं है तो फिर वोह रद है, उस में क़बूलिय्यत नहीं है। (نسائی، ص510، حدیث:3137 ماخوذاً)

जैसे लोगों को दिखाने के लिये किसी ने पैसे दिये तो सवाब की उम्मीद नहीं है। यहां तो ह़ालात ऐसे हैं कि आ़म तौ़र पर लोगों को दिखाने के लिये ही लोग पैसे देते हैं, अगर लोग देख नहीं पाते तो उन्हें सुनाते हैं कि "मैं ने येह येह किया है और इतना इतना दिया है।" अगर सुनाने में येह निय्यत है कि सामने वाले को भी रग़बत मिले तो येह निय्यत अच्छी है और इस पर भी सवाब मिलेगा। (احیاء العلوم، 3/390, एह़याउल उ़लूम (मुतर्जम), 3/940) लेकिन सिर्फ़ इस निय्यत से बताना कि येह मुझे सख़ी बोलें, दिलेर बोलें तो येह रिया है, इस में सवाब की उम्मीद नहीं है। (फ़तावा रज़विय्या, 23/625 माख़ूज़न)

"اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔(بخاری، 1/5، حدیث:1) (या'नी आ'माल का दारो मदार निय्यतों पर है)।" छोटे से छोटा अ़मल जो **अल्लाह** को राज़ी करने के लिये किया गया हो और उस में ग़ैर का अ़मल दख़्ल न हो तो उस में सवाब की उम्मीद की जा सकती है। इख़्लास की और भी बहुत सारी ता'रीफ़ें हैं। (مرقاۃ المفاتیح، 1/486) अलबत्ता अगर किसी काम में ग़ैर का अ़मल दख़्ल **अल्लाह** की रिज़ा के लिये भी शामिल हो गया तो ठीक है, मसलन एक बन्दे की हम ने इस लिये मदद की ताकि उस का दिल ख़ुश हो जाए और इस पर मुझे सवाब मिले तो येह भी **अल्लाह** की रिज़ा वाला काम हो गया, ह़ालां कि इस में बन्दे की रिज़ा भी शामिल है, लेकिन उस बन्दे की रिज़ा से अस्ल मक़्सद **अल्लाह** को राज़ी करना है, इस लिये येह भी इ़बादत हो गया। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/234)

सुवाल : जब आदमी की उ़म्र मुक़र्रर है तो सदक़ा देने से उ़म्र कैसे बढ़ेगी ?

जवाब : **अल्लाह** पाक के इ़ल्म में है कि बन्दा कितनी उ़म्र में फ़ौत होगा। उस की उ़म्र में इज़ाफ़ा होना होगा तो ऐसे अस्बाब हो जाएंगे कि उस की उ़म्र

बढ़ जाएगी, येह सब **अल्लाह** पाक का निज़ामे क़ुदरत है लेकिन **अल्लाह** पाक के इ़ल्म में होने का या **अल्लाह** पाक की मशिय्यत का येह मत़लब नहीं कि बन्दा सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाए, अगर बीमार हो तो इ़लाज न करवाए और सोचे कि सिह़्ह़त मिलनी होगी तो मिल जाएगी, वैसे भी शिफ़ा तो **अल्लाह** पाक ही देता है, दवा खाने की क्या ज़रूरत है ? ज़ाहिर है कोई भी येह बात सुन कर दवा नहीं छोड़ेगा, दवा सब ही खाएंगे। हां ! किताबों में मुतवक्किलीन की एक जमाअ़त के वाक़िआ़त लिखे हैं जो इ़लाज नहीं करवाते और **अल्लाह** पाक पर तवक्कुल करते हैं।[1] हो सकता है ऐसे लोग अब भी हों मगर आटे में नमक के बराबर ही होंगे। बहर ह़ाल ! रिवायतों में मुख़्तलिफ़ आ'माल की बरकत बयान हुई है कि किस से उ़म्र में इज़ाफ़ा होता है और किस से रिज़्क़ में वुस्अ़त होती है। चुनान्चे ''बहारे शरीअ़त'' जिल्द 3 सफ़ह़ा नम्बर 560 पर मस्अला नम्बर 6 : ह़दीस में आया है कि सिलए रेह़्मी या'नी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करने से उ़म्र में ज़ियादती और रिज़्क़ में वुस्अ़त होती है। (بخاری، 4/97، حدیث:5985 ماخوذاً) बा'ज़ उ़लमा ने इस ह़दीस को ज़ाहिर पर ह़म्ल किया है या'नी यहां क़ज़ा मुअ़ल्लक़ मुराद है क्यूं कि क़ज़ा मुबरम टल नहीं सकती और बा'ज़ ने फ़रमाया कि ज़ियादतिये उ़म्र का येह मत़लब है कि मरने के बा'द भी उस का सवाब लिखा जाता है गोया वोह अब भी ज़िन्दा है या येह मुराद है कि

---

1 ... ह़ज़रते सह़्ल तुस्तरी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه को एक मरज़ था कि अगर किसी और को हो जाता तो आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه उस का इ़लाज किया करते, लेकिन ख़ुद अपना इ़लाज नहीं करते थे। आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه से इस बारे में पूछा गया तो इर्शाद फ़रमाया : ऐ दोस्त ! ''ضَرْبُ الْحَبِيْبِ لَا يُوْجِعُ'' या'नी मह़बूब की मार तक्लीफ़ नहीं देती। (احیاء العلوم، 5/68)

मरने के बा'द भी उस का ज़िक्रे ख़ैर लोगों में बाक़ी रहता है।

(ردالمحتار، 9/678-679 ملخصاً) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/245)

सुवाल : सदक़ा और ख़ैरात में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब : सदक़ा अ़रबी ज़बान का लफ़्ज़ है, उर्दू में सदक़ा करने को ख़ैरात कहते हैं जब कि अ़रबी में ख़ैरात "ख़ैर" की जम्अ़ है जिस का मा'ना भलाई है अलबत्ता उर्दू में माली मदद करने को ख़ैरात कहते हैं, जैसे जब फ़क़ीर को पैसे देते हैं तो येह ख़ैरात कहलाती है। ज़कात भी उर्दू के लिहाज़ से ख़ैरात ही होती है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/317)

सुवाल : सदक़ा किसे कहते हैं ?

जवाब : सदक़े के ह़वाले से कई लोग येह समझते हैं कि काले बकरे या काले मुर्ग़े पर हाथ फिरवा कर या कोई भी चीज़ सात बार सर पर से घुमा कर दी जाए तो वोही सदक़ा है। इस त़रह़ के अन्दाज़ में कोई चीज़ देना सदक़े के साथ साथ टोटका भी है। दर अस्ल हर वोह चीज़ जो **अल्लाह** पाक की रिज़ा ह़ासिल करने के लिये उस की राह में दी जाए, किसी ग़रीब की मदद की जाए या बतौ़रे चन्दा दिया जाए वोह सब सदक़ा है।

(کتاب التعریفات، ص95) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/390)

सुवाल : बा'ज़ लोग गोश्त या ज़िन्दा मुर्ग़ अपने ऊपर से वार कर जंगल में फेंक देते हैं और कहते हैं कि पीछे मुड़ कर नहीं देखना, क्या येह दुरुस्त है ?

जवाब : सदक़े की कई अक़्साम हैं, फ़र्ज़ सदक़ा जैसा कि ज़कात, वाजिब सदक़ा जैसा कि फ़ित्रा और दीगर सदक़ाते वाजिबा, नफ़्ली सदक़ा जैसे किसी ग़रीब को सवाब की निय्यत से रक़म देना जिसे उर्दू में ख़ैरात कहा

जाता है, येह भी सदक़ा ही है। इस के इलावा सदक़े की बा'ज़ सूरतें और भी हैं जैसा कि जान का सदक़ा देना वग़ैरा। अगर जान का सदक़ा देना हो तो "फ़तावा रज़विय्या शरीफ़" में है कि जान के बदले यूं जान का सदक़ा दिया जाए कि ह़लाल जानवर ज़ब्ह़ कर के दे दिया जाए। (फ़तावा रज़विय्या, 24/186 माख़ूज़न) लिहाज़ा जान का सदक़ा निकालने के लिये बकरा या मुर्ग़ी ज़ब्ह़ कर के देना ज़ियादा अच्छा है और ज़िन्दा देने में भी कोई ह़रज नहीं। इसी त़रह़ रक़म, कपड़ा और अनाज वग़ैरा चीज़ें भी सदक़े में दी जा सकती हैं। सुवाल में जो सदक़े की सूरतें बताई गईं येह बाबा जी लोगों के ढकोस्ले होते हैं, इन्हें इख़्तियार करने से बचना चाहिये। सदक़ा निकालने के लिये ज़िन्दा मुर्ग़ फेंक देना या बकरे की सिरी या पाए क़ब्रिस्तान के चौराहे में दफ़्न करना माल को ज़ाएअ़ करना है और ऐसा सदक़ा जिस में माल को ज़ाएअ़ किया जाए ह़राम है। (फ़तावा रज़विय्या, 20/455 माख़ूज़न)

रही बात पीछे मुड़ कर न देखने की तो मुझे लगता है कि येह बाबा जी लोगों पर तअस्सुर (Impression) डालने के लिये बोलते होंगे कि मुर्ग़ फेंक देना और पीछे मुड़ कर न देखना। नीज़ येह भी मुम्किन है कि बाबा जी ऐसी जगह मुर्ग़ या बकरा फ़िकवा रहे हों कि जहां पहले से ही बाबा जी के बन्दे मौजूद हों कि जैसे ही बकरा या मुर्ग़ छोड़ा जाए वोह उसे पकड़ कर ले जाएं लिहाज़ा बाबा जी इस ख़ौफ़ से कि अगर मुर्ग़ या बकरा छोड़ने वाले ने मुड़ कर देख लिया तो कहीं मेरा भांडा फूट न जाए, इस लिये सदक़ा निकालने वाले को येह कह कर ख़ौफ़ज़दा कर देते हों कि पीछे मुड़ कर नहीं देखना और अगर देखने पर कुछ हुवा तो मुझे नहीं बोलना।

बा'ज़ सूरतों में "मुड़ कर न देखना" बतौ़रे मुह़ावरा भी इस्ति'माल होता है जैसा कि येह कहा जाता है "राहे ख़ुदा में दिया तो मुड़ कर मत देखो" इस से मुराद येह होता है कि राहे ख़ुदा में देने के बा'द येह तमन्ना न करो कि मुझे वापस मिल जाए या मैं वापस ले लूं वग़ैरा। बहर ह़ाल बाबा जी जो बोलते हैं कि "पीछे मुड़ कर मत देखो" इस में उन की क्या ह़िक्मत है मुझे मा'लूम नहीं और इस से मुतअ़ल्लिक़ जो बातें मैं ने ज़िक्र कीं येह बतौ़रे तफ़्नुन हैं। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/249)

सुवाल : क्या घर में मौजूद सदक़े की रक़म इस्ति'माल कर सकते हैं ?

जवाब : अगर नफ़्ल सदक़े की निय्यत से घर में रक़म रखी थी कि "येह रक़म राहे ख़ुदा में ख़र्च करूंगा या हुज़ूर ग़ौसे पाक शैख़ अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه की नियाज़ करूंगा" तो ऐसी सूरत में वोह ख़ुद उस रक़म का मालिक है, उस के लिये बेहतर येही है कि जिस नेक काम की निय्यत से रक़म रखी है उसी में ख़र्च करे, लेकिन अगर वोह रक़म अपने किसी काम में इस्ति'माल करता है तो भी कोई ह़रज नहीं है।

(इस मौक़अ़ पर मदनी मुज़ाकरे में शरीक मुफ़्ती साह़िब ने फ़रमाया :) आज कल जो हमारे हां सदक़ा बक्स रखे जाते हैं अगर उन में सिर्फ़ अपनी ज़ाती रक़म हो तो चाहे वोह सदक़ए नाफ़िला हो या सदक़ए वाजिबा दोनों सूरतों में जब तक सदक़ा अदा नहीं किया उस वक़्त तक रक़म इस्ति'माल करने में कोई ह़रज नहीं है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 10/62)

सुवाल : ह़लाल और ह़राम की कमाई को अगर मिक्स कर के सदक़ा करें तो क्या वोह क़बूल हो जाएगा ?

जवाब : ह़लाल ह़लाल है और ह़राम ह़राम है। **अल्लाह** करीम पाक है और

पाक माल को ही क़बूल करता है।[1] ह़राम माल तो किसी से छीना हुवा या रिश्वत का होता है लिहाज़ा जिस से येह माल छीना या लिया है उसे वापस देना लाज़िम है। जिस से लिया था अगर वोह फ़ौत हो गया हो तो उस के वुरसा को देना लाज़िम होगा, अगर उस का कोई वारिस नहीं मिल रहा या जिस से लिया था वोह ग़ाइब हो गया या पता ही नहीं कि किस से लिया था तो अब वोह माल सदक़ा करना ज़रूरी है। इसी त़रह़ किसी से सूद लिया है तो उसे भी किसी शर्ई फ़क़ीर पर सदक़ा कर दे कि सूद भी क़त़्ई ह़राम है लेकिन इस में येह ज़रूरी नहीं है कि जिस से लिया है उसे वापस करे बल्कि जिस से लिया है उसे वापस करना बेहतर है।

(फ़तावा रज़विय्या, 23/551, 552 मुलख़्ख़सन)

माले ह़राम सदक़ा करते हुए सवाब की निय्यत भी नहीं कर सकते

याद रहे! ह़राम माल सदक़ा करते हुए सवाब की निय्यत नहीं की जा सकती अलबत्ता जिस ने हुक्मे शरीअ़त पर अ़मल किया या'नी शरीअ़त ने ह़राम माल को वापस करने या किसी फ़क़ीर पर सदक़ा करने का हुक्म दिया है तो इस हुक्म पर अ़मल करने की वज्ह से सवाब की उम्मीद है लेकिन जो माल उस ने दिया है उस पर सवाब की निय्यत नहीं की जा

1... ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जो ह़लाल कमाई से खजूर के बराबर सदक़ा करे और **अल्लाह** पाक सिर्फ़ ह़लाल ही को क़बूल करता है तो **अल्लाह** पाक उसे दाहने हाथ में क़बूल करता (या'नी राज़ी हो जाता) है फिर सदक़ा करने वाले के लिये उस की ऐसी परवरिश करता है जैसे तुम में से कोई अपने बछेरे की परवरिश करता है यहां तक कि वोह सदक़ा पहाड़ की मानिन्द हो जाता है। (ابن حبان، 5/134، حدیث:3308) ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : जो ह़राम माल जम्अ़ करे फिर उस से सदक़ा दे तो इस में उस के लिये कोई अज्र नहीं और इस का वबाल उसी पर होगा। (سنن الکبری للبیہقی، 4/141، حدیث:7240)

सकती । (फ़तावा रज़विय्या, 19/658) बा'ज़ लोग सूद का पैसा बिग़ैर सवाब की निय्यत के इस्तिन्जा ख़ाना बनाने में लगाते हैं येह भी जाइज़ नहीं है ।[1]

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 10/169)

सुवाल : सदक़ा किस त़रह़ किया जाए जिस से बीमारी दूर हो जाए ?

जवाब : आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने लिखा है कि जान का सदक़ा जानवर जैसे बकरा या मुर्ग़ी वग़ैरा ज़ब्ह़ कर के देना बेहतर है । चुनान्चे "फ़तावा रज़विय्या" में है : "शीरीनी (या'नी मीठी चीज़) या खाना फ़ुक़रा को खिलाएं तो सदक़ा है और अक़ारिब को (या'नी रिश्तेदारों को खिलाएं) तो सिलए रेह़मी (या'नी रिश्तेदारों से अच्छा बरताव है) और अह़बाब को (या'नी दोस्तों को खिलाएं) तो ज़ियाफ़त (या'नी उस की दा'वत है) । और येह तीनों बातें (या'नी फ़क़ीर को खिलाना, रिश्तेदारों को खिलाना और दोस्तों को खिलाना) मूजिबे नुज़ूले रह़मत (या'नी रह़मत नाज़िल होने) व दफ़्ए़ बला व मुसीबत (या'नी बलाएं और मुसीबतें दफ़्अ़ होने का सबब) हैं ।

---

1 ... आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه से ह़राम ज़रीए़ से ह़ासिल होने वाले माल और सूदी रक़म को मस्जिद के किसी काम में इस्ति'माल करने से मुतअ़ल्लिक़ सुवाल हुवा, जिस के जवाब में आप इर्शाद फ़रमाते हैं : जो माल बिऐ़निही (ख़ालिसतन) ह़राम हो वोह इन कामों (या'नी मस्जिद की ता'मीरो तौसीअ़) के लिये लेना भी ह़राम है और जिस की निस्बत येह मा'लूम न हो कि येह ख़ास माल ह़राम है इस (माल) के लेने में मुज़ायक़ा नहीं, وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ । (फ़तावा रज़विय्या, 16/427) नीज़ मुफ़्ती वक़ारुद्दीन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه सूद की रक़म से छुटकारा पाने का त़रीक़ा बयान करते हुए फ़रमाते हैं : सूद की रक़म किसी ग़रीब ह़ाजत मन्द को जो ज़कात लेने का मुस्तह़िक़ है, मालिक बना कर दे दी जाए और उस अ़मल में सवाब की निय्यत न रखी जाए कि ह़राम माल सवाब का ज़रीआ़ नहीं बन सकता, बल्कि येह निय्यत करे कि मेरे माल में जो गन्दगी शामिल हो गई थी उस को निकाल कर अपना माल पाक कर रहा हूं । इस सूद के रुपै को किसी ऐसे काम में ख़र्च नहीं कर सकते जहां कोई मालिक नहीं होता मसलन मस्जिद, मद्रसा, कूंवां और रास्ता वग़ैरा बनाने में सर्फ़ करना बल्कि शख़्सी मिल्किय्यत में देना ज़रूरी है । وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ (वक़ारुल फ़तावा, 1/243)

(मज़ीद फ़रमाते हैं :) येही ह़ाल बकरी ज़ब्ह़ कर के खिलाने का है। मगर तजरिबे से साबित हुवा है कि जान का सदक़ा देना ज़ियादा नफ़्अ़ रखता है (या'नी बकरी ज़ब्ह़ कर के खिलाएं तो ज़ियादा फ़ाएदा होता है और बलाएं तेज़ी से जाती हैं)।" (फ़तावा रज़विय्या, 24/185, 186 मुल्तक़त़न) अलबत्ता येह ज़रूरी नहीं कि ख़ुद मरीज़ ज़ब्ह़ करे, बल्कि जिसे जानवर दिया उस से भी कहा जा सकता है कि वोह जानवर को ज़ब्ह़ कर दे।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 10/464)

सुवाल : क्या मदनी अ़त़िय्यात बक्स में ग्यारहवीं शरीफ़ की निय्यत से रक़म डाल सकते हैं ?

जवाब : जी हां ! मदनी अ़त़िय्यात में ग्यारहवीं शरीफ़ या'नी ग़ौसे पाक رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه के ईसाले सवाब की निय्यत से रक़म डाल सकते हैं बल्कि ग़ौसे पाक رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه के ईसाले सवाब की निय्यत से रक़म डालेंगे तो सवाब बढ़ जाएगा। अलबत्ता इस में ज़कात की रक़म नहीं डाल सकते।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/432)

सुवाल : क्या पौदे लगाने के फ़ज़ाइल भी हैं ?[1]

जवाब : जी हां ! अह़ादीसे मुबारका में पौदे लगाने के फ़ज़ाइल भी बयान हुए हैं। पौदे लगाने के फ़ज़ाइल पर तीन फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم मुलाह़ज़ा कीजिये : ﴿1﴾ जो मुसल्मान दरख़्त लगाए या फ़स्ल बोए फिर उस में से जो परिन्दा या इन्सान या चौपाया खाए तो वोह उस की त़रफ़ से सदक़ा शुमार होगा। (بخاری، 2/85، حدیث:2320) ﴿2﴾ जिस ने कोई दरख़्त लगाया और उस

1... येह सुवाल शो'बए मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत का क़ाइम कर्दा है और जवाब अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه का इनायत किया हुवा है।

की हिफ़ाज़त और देखभाल पर सब्र किया यहां तक कि वोह फल देने लगा तो उस में से खाया जाने वाला हर फल **अल्लाह** पाक के नज़्दीक उस (लगाने वाले) के लिये सदक़ा है। (مسند امام احمد، 5/574، حدیث:16586) ﴿3﴾ जिस ने किसी ज़ुल्मो ज़ियादती के बिग़ैर कोई घर बनाया या ज़ुल्मो ज़ियादती के बिग़ैर कोई दरख़्त उगाया, जब तक **अल्लाह** पाक की मख़्लूक़ में से कोई एक भी उस में से नफ़्अ़ उठाता रहेगा तो उस (लगाने वाले) को सवाब मिलता रहेगा।

(مسند امام احمد، 5/309، حدیث:15616) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/101)

सुवाल : मस्जिद बनाने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब : मस्जिद बनाना सदक़ए जारिया है। मस्जिद बनाने वाले को जन्नत में आ़लीशान महल अ़ता किया जाएगा।[1] मस्जिद बनाने वाले को मिलने वाले सवाब का अन्दाज़ा नहीं किया जा सकता क्यूं कि मस्जिद क़ियामत तक के लिये मस्जिद होती है और जिस ने मस्जिद बनाई होगी उसे क़ियामत तक उस का सवाब मिलता रहेगा। लिहाज़ा जो मुख़य्यर हज़रात हैं उन्हें चाहिये कि अपनी ज़िन्दगी में कम अज़ कम एक मस्जिद ज़रूर बनाएं जो उन के लिये सदक़ए जारिया हो सके। मस्जिद बनाने के लिये ज़रूरी नहीं कि करोड़ों रुपै ख़र्च कर के ख़ूब तज़्ईनो आराइश के साथ ही मस्जिद बनाई जाए बल्कि चन्द लाख में भी मस्जिद बनाई जा सकती है। बा'ज़ अ़लाक़ों में ज़मीन की क़ीमत बहुत कम होती है और बा'ज़ अ़लाक़ों में बहुत ज़ियादा, तो जिस की जितनी गुन्जाइश हो वोह उसी के मुताबिक़ ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद बनाए।

1... नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़लीशान है : जो शख़्स **अल्लाह** पाक की रिज़ा के लिये मस्जिद बनाए तो **अल्लाह** पाक उस के लिये जन्नत में महल बनाएगा। (مسلم، ص214، حدیث:1190)

मस्जिद ऐसी जगह बनानी चाहिये जहां आबादी हो, जंगल या बयाबान में मस्जिद बनाना जाइज़ नहीं। यहां तक कि अगर किसी ने जंगल, बयाबान या किसी वीराने में मस्जिद बनाई तो वहां मस्जिद की निय्यत करने के बा वुजूद वोह मस्जिद नहीं कहलाएगी।[1] नीज़ उस पर लगने वाली सारी रक़म भी ज़ाएअ़ हो जाएगी और आबादी न होने की वज्ह से वोह इमारत जानवरों का ठिकाना बन सकती है। हां ! अगर किसी ऐसे अ़लाक़े में मस्जिद बनाई जहां मस्जिद बनाते वक़्त तो आबादी थी मगर बा'द में वोह अ़लाक़ा वीरान हो गया तो वोह जगह ब दस्तूर मस्जिद ही रहेगी क्यूं कि जब किसी जगह मस्जिद की निय्यत कर ली जाए तो वोह क़ियामत तक के लिये मस्जिद हो जाती है।

(बहारे शरीअ़त, 2/561, हिस्सा : 10 माख़ूज़न) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/182)

सुवाल : सदक़ा छुपा कर देना अफ़्ज़ल है लेकिन बसा अवक़ात भरे इज्तिमाअ़ में कहा जाता है कि आप निय्यत कर लें या कोई ए'लान कर दें तो उस वक़्त हमें क्या करना चाहिये ?

जवाब : सदक़ा देने की मुख़्तलिफ़ सूरतें होती हैं। कहीं छुपा कर देना अफ़्ज़ल होता है और कहीं सब के सामने देना अफ़्ज़ल होता है। اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّات या'नी आ'माल का दारो मदार निय्यतों पर है। (بخاری،1/5،حدیث:1) सदक़ा छुपा कर देने के अपने फ़ज़ाइल हैं कि छुपा कर सदक़ा देना **अल्लाह** पाक के ग़ज़ब को ठन्डा करता है। (ترمذی،2/146،حدیث:664) यूं ही ए'लानिया सदक़ा देने के अपने फ़ज़ाइल हैं मसलन अगर किसी ने सब के सामने इस लिये

1... किसी शख़्स ने जंगल या वीराने में मस्जिद बनाई जहां किसी की रिहाइश न हो और लोगों का वहां से गुज़र भी कम हो तो वोह मस्जिद न होगी क्यूं कि उस जगह मस्जिद बनाने की ह़ाजत नहीं है। (فتاویٰ ہندیہ،5/320)

सदक़ा दिया कि दूसरों को भी तरग़ीब मिले, दूसरों का भी देने का जज़्बा बढ़े तो ज़ाहिर है कि येह सवाब का काम है। हां ! अगर किसी ने सदक़ा इस लिये ज़ाहिर कर के दिया कि लोग मुझे सख़ी और दिलेर समझें तो इस ने ग़लत़ काम किया क्यूं कि इ़बादत से किसी के दिल में अपना एह़तिराम अपनी इ़ज़्ज़त बनाने वाला रियाकार और जहन्नम का ह़क़दार है। हर एक अपनी निय्यत पर ग़ौर कर ले कि वोह किस निय्यत से अ़लल ए'लान सदक़ा व ख़ैरात कर रहा है। याद रखिये ! सदक़े के लिये न तो ऐसा काला बकरा देने की ज़रूरत है जिस में एक भी बाल सफ़ेद न हो और न ही काली मुर्ग़ी को सर पर से घुमा कर देने की ह़ाजत बल्कि जो भी **अल्लाह** पाक की राह में दिया जाए वोह सदक़ा है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/401)

सुवाल : सदक़ा देना **अल्लाह** पाक को क़र्ज़ देने की त़रह़ है, ऐसा कहना कैसा है ?

जवाब : (अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के क़रीब बैठे हुए मुफ़्ती साह़िब ने फ़रमाया :) क़ुरआने पाक में है : ﴿وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (پ29، المزمل:20) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** "और **अल्लाह** को अच्छा क़र्ज़ दो।" इस की तफ़्सीर **अल्लाह** पाक की राह में ख़र्च करना है, येह क़र्ज़ के अन्दर आता है। (अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने फ़रमाया :) येह **अल्लाह** पाक का करम है कि ख़ुद ही देता है और ख़ुद ही उस की राह में ख़र्च करने पर सवाब और जन्नत के वा'दे फ़रमाता है। हम किसी को कुछ देंगे तो न जाने हमारे ज़ेह्न में क्या क्या होगा ? लेकिन **अल्लाह** पाक की शान देखो कि अपनी शाने करीमी से ख़ूब नवाज़ता है। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/408)

सुवाल : परिन्दों को सदक़े का गोश्त खिलाना कैसा ?

जवाब : बा'ज़ लोग चील, कव्वों को सदक़े की निय्यत से लुटा लुटा कर गोश्त खिलाते हैं येह ग़ैर मुस्लिमों का त़रीक़ा है।[1]

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/167)

सुवाल : क़र्ज़े ह़सना किसे कहते हैं ?

जवाब : क़र्ज़े ह़सना के बारे में हमारे हां अ़वाम में येह मश्हूर है कि क़र्ज़े ह़सना वोह होता है कि जिसे दे कर भूल जाओ, अगर मक़्रूज़ देना चाहे तो दे दे और अगर न देना चाहे तो न दे, येह क़र्ज़े ह़सना की अ़वामी ता'रीफ़ है ह़ालां कि हर क़र्ज़ क़र्ज़े ह़सना या'नी अच्छा क़र्ज़ होता है जो मुसल्मान को उस की ख़ैर ख़्वाही की निय्यत से दिया जाए और सूद से पाक हो। (इस मौक़अ़ पर मदनी मुज़ाकरे में शरीक मुफ़्ती साहिब ने फ़रमाया :) क़र्ज़े ह़सना की एक तफ़्सीर सदक़ाते वाजिबा के इ़लावा नफ़्ली सदक़ात के साथ की गई है। (تفسیر کبیر، پ2، البقرۃ، تحت الآیۃ:245، 2/499) मसलन नफ़्ली सदक़ा करना, अपने मह़ारिम पर ख़र्च करना और जिन का नफ़क़ा लाज़िम हो उन पर ख़र्च करना वग़ैरा। बा'ज़ उ़लमा के नज़्दीक हर वोह माल जो **अल्लाह** पाक की राह में ख़र्च किया जाए उसे क़र्ज़े ह़सना कहते हैं।

(کنز العمال، الجزء:2، 1/154، حدیث:4220) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/239)

सुवाल : अगर कोई शख़्स किसी दूसरे शख़्स की माली मदद करता है और उन दोनों के इ़लावा किसी भी तीसरे शख़्स को इस का इ़ल्म नहीं है तो क्या

1... चील, कव्वों को गोश्त खिलाने से मुतअ़ल्लिक़ आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه से होने वाला सुवाल व जवाब मुलाह़ज़ा फ़रमाइये : सुवाल : अक्सर देखा गया कि लोग बकरा मंगा कर और उस को लड़के या लड़की के नाम ज़ब्ह़ कर के कुछ गोश्त चील, कव्वा को खिलाते हैं और कुछ फ़ुक़रा को तक़्सीम करते हैं, येह फ़े'ल किस ह़द तक सह़ीह़ है ? जवाब : मसाकीन को दें, चील, कव्वों को खिलाना कोई मा'ना नहीं रखता, येह फ़ासिक़ हैं और कव्वों की दा'वत रस्मे हुनूद। وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَم (फ़तावा रज़विय्या, 20/590)

इस को पोशीदा सदक़ा कहा जाएगा या लेने वाले के भी इ़ल्म में लाए बिग़ैर दिया जाए तो पोशीदा सदक़ा कहलाएगा जैसे किसी नाबीना को रक़म दे दी जाए ?

जवाब : वाक़ेई येह एक मस्अला है कि पोशीदा की ता'रीफ़ क्या है और किस त़रह़ देने को पोशीदा कहा जाएगा ? एक को भी पता न चले शायद नफ़्स को येह गवारा न हो किसी न किसी को तो बता ही देते हैं मसलन कहेंगे कि "मैं ने इल्यास के हाथ में रक़म देनी है" इस त़रह़ मुझे तो पता चलेगा कि उस ने दो लाख रुपै दिये हैं या किसी को बताएंगे कि किसी और को मत बताना कि मैं ने इतनी इतनी रक़म देनी है। मिसाल के त़ौर पर मेरे पास एक लाख रुपै की रक़म तोह़्फ़तन आई तो मैं अपने क़रीबी शख़्स को दूं और उस से कह दूं कि येह फ़ैज़ाने मदीना में दे दो और मेरा नाम नहीं बताना लेकिन इस सूरत में भी जिस को दे रहा हूं उस से पोशीदा नहीं रहेगा। अगर यूं कहा जाए कि "येह रक़म फ़ैज़ाने मदीना के चन्दा बक्स में डाल देना या क़ाफ़िलों की मद में जम्अ़ करवा देना" और उस को बताया न जाए कि येह रक़म किस की त़रफ़ से है तो वोह येह समझेगा कि शायद येह किसी ने दी होगी, इस त़रह़ ह़िक्मते अ़मली से भी रक़म छुपा कर दी जा सकती है। यूं ही ख़ामोशी से ख़ुद ही चन्दा बक्स में रक़म डाली जा सकती है।

(अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के क़रीब बैठे हुए मुफ़्ती साह़िब ने फ़रमाया :) पोशीदा सदक़ा देने वाली बात अ़र्श के साए में जगह मिलने वाली ह़दीस में की गई है, वोह इस त़रह़ है कि सीधे हाथ से सदक़ा दे तो उलटे हाथ को मा'लूम न हो कि उस ने क्या ख़र्च किया। पोशीदा का आ़म त़ौर पर येही मा'ना होता है कि किसी भी दूसरे को मा'लूम न हो लेकिन

अगर कोई ऐसी ज़रूरत पेश आई कि बताना पड़ेगा और इस के बिग़ैर कोई चारा नहीं है, मसलन रक़म किसी ऐसे शख़्स तक पहुंचानी है जिस तक येह ख़ुद नहीं पहुंचा सकता तो ऐसे शख़्स को दे दे जो मुतअ़ल्लिक़ा शख़्स तक पहुंचा दे और उस को येह बता दे कि उस को पता न चले कि किस ने दी है तो उम्मीद है कि येह भी पोशीदा सदक़े में ही आएगा।

(अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने फ़रमाया : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات (आ'माल का दारो मदार निय्यतों पर है।) (بخاری، 1/5، حدیث:1) ज़ाहिर है अगर खड़े हो कर ए'लान करता है कि मैं एक लाख रुपै पेश कर रहा हूं और उस की रियाकारी की निय्यत न हो तो येह भी जाइज़ है अगर्चे येह ए'लान पोशीदा नहीं कहलाएगा मगर इस में सवाब मिलने की उम्मीद मौजूद है, अगर ए'लान इस लिये कर रहा है कि येह ख़ुद ऐसा शख़्स है जिसे देख कर दूसरों को तरग़ीब मिलेगी और वोह भी कुछ न कुछ रक़म राहे ख़ुदा में देंगे और दिखावा मक़्सूद नहीं है तब भी कोई गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब ही की उम्मीद होगी। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/246)

सुवाल : जिस त़रह़ इख़्लास की कैफ़िय्यात अफ़राद के ए'तिबार से मुख़्तलिफ़ होती हैं, क्या सदक़ा वग़ैरा पोशीदा रखने के ए'तिबार से भी येह कैफ़िय्यात मुख़्तलिफ़ होंगी ? जैसे रक़म देने वाला येह ह़ीला करे कि पहले किसी को येह रक़म वैसे ही दे दे और फिर उस से वापस ले कर सदक़ा के लिये दे दे और कहे येह रक़म मुझे किसी ने दी थी, इसी त़रह़ अगर यूं कर ले कि जिस को देना है वोह नमाज़ पढ़ रहा हो तो उस की जूतियों के पास रक़म रख दे या पाउं के पास रख दे या उस के घर में डलवा दे जैसा कि बुज़ुर्गाने दीन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم के ऐसे आ'माल होते थे।

जवाब : किताबों में बुज़ुर्गाने दीन رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِم के ऐसे अन्दाज़ लिखे हुए हैं लेकिन आज अगर किसी की जूतियों में इस त़रह़ कुछ रखेंगे तो बेचारा सोच में पड़ जाएगा पता नहीं येह क्या है ? इसी त़रह़ किसी के घर में डालेंगे और उस के घर में कोई मेहमान आए तो वोह समझेगा कि शायद येह मेहमानों की गिर गई है और वोह उस को लुक़्त़ा समझ बैठेगा। बुज़ुर्गाने दीन رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِم के बारे में जो लिखा है कि येह लोग घर में डाल जाया करते थे तो हो सकता है वोह लोग उस के साथ चिट्ठी पर लिख कर भी रखते हों, नीज़ किसी नाबीना को भी सदक़ा दिया जा सकता है। अगर कोई फ़ैज़ाने मदीना में देना चाहे तो यहां मौजूद मुख़्तलिफ़ चन्दा बक्स में भी डाल सकता है। ज़ाहिर है अगर ख़ामोशी से कुछ रक़म डालेगा तो किसी को क्या पता कि 10 का नोट डाला है या हज़ार (1000) का तो यूं चुपचाप रक़म दी जा सकती है। उ़मूमन ऐसा होता नहीं, कम अज़ कम किसी के हाथ में वोह रक़म दी जाएगी ताकि उस को तो मा'लूम हो कि येह मा बदौलत ने दिया है। वाक़ेई रियाकारी और दिखावा ऐसा नस नस में बसा हुवा है कि जब तक एक न एक को पता न चल जाए मज़ा ही नहीं आता। **अल्लाह** पाक इख़्लास नसीब फ़रमाए। اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/248)

सुवाल : नफ़्ली सदक़ा किन लोगों को देना चाहिये ?

जवाब : किसी ग़रीब रिश्तेदार को दे दें। अगर किसी सय्यिद साहिब को देना चाहें तो उन्हें भी दे सकते हैं, क्यूं कि नफ़्ल सदक़ा उन्हें दिया जा सकता है। (फ़तावा रज़विय्या, 10/309) जिन को सदक़ा दें उन्हें येह कहना ज़रूरी नहीं है कि येह सदक़ा या ख़ैरात है, क्यूं कि हो सकता है उन्हें अच्छा न लगे। आप अगर चाहें तो दा'वते इस्लामी के सदक़ा बक्स या लंगरे रज़विय्या के बक्स

में भी नफ़्ली सदक़ा डाल सकते हैं, क्यूं कि हमें सारा साल ही इस की ज़रूरत रहती है और रमज़ान में तो सहरी और इफ़्तारी की मद में करोड़ों रुपै ख़र्च होते हैं। येह बात याद रहे कि सदक़ा बक्स या लंगरे रज़विय्या की मद में ज़कात के पैसे नहीं दीजियेगा वरना आप की ज़कात ज़ाएअ़ हो जाएगी। अपनी जेब ख़र्च में से ह़लाल और सुथरा माल नफ़्ली सदक़े में दीजिये, राहे ख़ुदा में देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। चाहें तो अपनी आमदनी का One Percent (या'नी एक फ़ीसद) ही नफ़्ली सदक़े के लिये मुक़र्रर कर लीजिये, **अल्लाह** पाक तौफ़ीक़ दे तो फ़ीसद में इज़ाफ़ा कर लीजिये कि जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। इस्लामी बहनों को भी चाहिये कि अपनी जेब ख़र्च में से कोई ह़िस्सा मुक़र्रर कर के नफ़्ली सदक़ा दिया करें, इस के लिये घर में सदक़ा बक्स भी रखा जा सकता है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/401)

सुवाल : सदक़ा कर के लोगों को बताना कैसा ?[1]

जवाब : बुज़ुर्गाने दीन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم सदक़ा छुपा कर दिया करते थे ताकि किसी को पता न चल सके, बल्कि बा'ज़ अवक़ात जिस को सदक़ा दिया जा रहा है उसे भी मा'लूम नहीं होता था कि मुझे किस ने सदक़ा दिया है। ह़ज़रते इमाम ज़ैनुल आबिदीन رَضِیَ اللهُ عَنْه के विसाले बा कमाल के बा'द येह इन्किशाफ़ात हुए कि आप फ़ुलां फ़ुलां घर का ख़र्चा उठाते और राशन डलवाते थे, नीज़ उन घर वालों को भी मा'लूम नहीं था कि उन पर सख़ावत करने वाला कोई और नहीं बल्कि आप رَضِیَ اللهُ عَنْه ही थे। (تاریخ ابن عساکر، 41/383)

1... येह सुवाल शो'बए मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत का क़ाइम कर्दा है और जवाब अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه का इनायत किया हुवा है।

इसी त़रह़ ''एह़याउल उ़लूम'' में और बुज़ुर्गों के वाक़िआ़त भी हैं जो ज़कात और ख़ैरात वग़ैरा चुपके से ग़रीबों को पहुंचा दिया करते थे और उन के घर में डलवा दिया करते थे। (احیاء العلوم، 1/290, एह़याउल उ़लूम (मुतर्जम), 1/656) आज कल तो ह़ाल येह है कि नेकी कम करते हैं और ढोल बड़ा बजाते हैं, नेकी छोटी होती है लेकिन उसे बहुत बड़ी नेकी के त़ौर पर बयान कर रहे होते हैं बल्कि ऐसे भी होते हैं जो नेकी करते ही नहीं हैं लेकिन बिग़ैर नेकी के ही दिखावा कर रहे होते हैं। (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/572)

सुवाल : आज कल घरों में सदक़ा व ख़ैरात के नाम पर जो बकरे वग़ैरा काटे जाते हैं उन का गोश्त घर में इस्ति'माल कर सकते हैं या नहीं ? या किसी ग़रीब को देना पड़ता है ?

जवाब : येह आ़म त़ौर पर नफ़्ल सदक़े होते हैं कि बच्चा बीमार हो जाता है तो उस का सदक़ा निकाल देते हैं, येह अच्छा और नेक काम है इस का गोश्त अगर ग़रीबों में बांट दिया जाए तो अच्छा है लेकिन अगर मालदारों को खिला दिया या ख़ुद खा लिया तब भी कोई गुनाह नहीं है। आ़म त़ौर पर सदक़ा उसे ही कहा जाता है जो ग़रीबों को दिया जाए। हां ! अगर वाजिब सदक़ा है तो वोह सिर्फ़ ग़रीबों के लिये ही होता है।

(بحر الرائق، 2/427) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/217)

सुवाल : क्या मिस्कीन तक सदक़ा पहुंचाने पर भी अज्र है ?[1]

जवाब : जी हां ! **फ़रमाने मुस्त़फ़ा** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **:** बेशक **अल्लाह** पाक रोटी के एक लुक़्मे या एक खजूर या इस की मिस्ल किसी मिस्कीन को फ़ाएदा

1 ... येह सुवाल शो'बए मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत का क़ाइम कर्दा है और जवाब अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه का इ़नायत किया हुवा है।

पहुंचाने वाली चीज़ की वज्ह से तीन लोगों को जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा : ﴾1﴿ वोह शख़्स जिस ने सदक़े का हुक्म दिया ﴾2﴿ बीवी जिस ने उस लुक़्मे को तय्यार किया ﴾3﴿ वोह ख़ादिम जिस ने येह सदक़ा मिस्कीन तक पहुंचाया। तमाम ख़ूबियां **अल्लाह** पाक के लिये हैं जो हमारे ख़ादिमों को भी महरूम नहीं करता। (معجم اوسط، 4/89، حدیث:5309) एक और हदीसे पाक में है : सदक़ा अगर्चे 70 हज़ार हाथों में से गुज़रे तब भी आख़िरी शख़्स का अज्र पहले सदक़ा करने वाले के अज्र की तरह होगा।

(مکارم الاخلاق للطبرانی، ص355، حدیث:116) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/388)

सुवाल : क्या वालिदैन और दीगर मर्हूमीन के नाम पर कपड़े या बरतन ख़ैरात किये जा सकते हैं ?

जवाब : कपड़े और बरतन ख़ैरात कर सकते हैं। (फ़तावा रज़विय्या, 9/597) अलबत्ता येही ख़ैरात करने को फ़र्ज़ या वाजिब न समझा जाए।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 8/187)

सुवाल : क्या वालिद अपनी औलाद को सदक़ा दे सकता है ?

जवाब : वालिद अपनी औलाद को ज़कात और फ़ित्रा नहीं दे सकता, (ردالمحتار، 3/344) अलबत्ता तोहफ़ा और इन्आम दे सकता है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/236)

सुवाल : क्या मैं अपने बच्चे का अक़ीक़ा करने के बजाए उस जानवर की क़ीमत किसी फ़लाही तन्ज़ीम को दे सकता हूं ?

जवाब : इस की इजाज़त मिली तो फिर कहेंगे क़ुरबानी करने के बदले क़ुरबानी का जानवर या उस की रक़म किसी ग़रीब को दे दें, हज करने के

बजाए किसी को पैसे दे दें, फिर मसाजिद भी न बनाएं ग़रीबों को दे दें, ऐसा नहीं होगा, शरीअ़त ने जो त़रीक़ा बताया है वोही करना होता है। बकरा तो दस पन्दरह हज़ार का आज कल आता होगा इस से ग़रीबों का क्या होगा ? घर में जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वोह और दो चार सोफ़े बेच कर ग़रीबों को दें, घर में 10 कमरे हैं तो एकआध कमरे का हिसाब लगा कर ग़रीबों के ह़वाले कर दें ताकि ग़रीबों का कुछ तो बने। बहर ह़ाल अ़क़ीक़ा करना है तो इस में क़ुरबानी के जानवर की शराइत़ के मुत़ाबिक़ जानवर ही ज़ब्ह़ करना होगा तभी येह मुस्तह़ब अदा होगा। अ़क़ीक़ा मुस्तह़ब है, अगर किसी ने नहीं किया तो गुनाह नहीं है।

(बहारे शरीअ़त, 3/355, 357 मुल्तक़त़न) (मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/16)

सुवाल : क्या फ़ौत शुदा इन्सानों की त़रफ़ से भी सदक़ा दिया जा सकता है ?

जवाब : जी हां ! फ़ौत शुदा अफ़राद की त़रफ़ से भी सदक़ा दिया जा सकता है, येह इन के लिये ईसाले सवाब होगा जैसे वालिद साह़िब, दादाजान वग़ैरा के ईसाले सवाब के लिये सदक़ा दिया या बारगाहे रिसालत में सवाब नज़्र करने के लिये ग़रीबों की मदद की, कि येह मदद मैं सरकार صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के नाम पर कर रहा हूं या ग़ौसे पाक رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه के नाम पर कर रहा हूं। और इस त़रह़ ईसाले सवाब करना जाइज़ है।

(मल्फ़ूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/205)

हफ़्तावार रिसाला मुतालआ

الحمد للہ अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ/ ख़लीफ़ए अमीरे अहले सुन्नत अलहाज अबू उसैद उबैद रज़ा मदनी مدظلہ العالی की जानिब से हर हफ़्ते एक रिसाला पढ़ने की तरग़ीब दी जाती है। الحمد للہ الکریم! लाखों इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें येह रिसाला पढ़ या सुन कर अमीरे अहले सुन्नत/ख़लीफ़ए अमीरे अहले सुन्नत की दुआओं से हिस्सा पाते हैं। येह रिसाला pdf में दा'वते इस्लामी की वेबसाइट www.dawateislamiindia.org से फ़्री डाउनलोड किया जा सकता है। सवाब की निय्यत से खुद भी पढ़ें और अपने मर्हूमीन के ईसाले सवाब के लिये तक़्सीम करें।

(शो'बा : हफ़्तावार रिसाला मुतालआ)